

भारतीय प्रबंध संस्थान शिलाँग
शासी मंडल में अग्रगण्य व्यक्तियों और संकाय सदस्यों की
नामांकन विनियमावली, 2018

भारतीय प्रबंध संस्थान शिलाँग की शासी मंडल में अग्रगण्य व्यक्तियों और संकाय सदस्यों को नामित करने के क्रम में और भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उपधारा [2] के खंड [घ] एवं खंड [ड.] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भाप्रबंस अधिनियम, 2017 की धारा 20(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भाप्रबंस नियम 2018 के संदर्भ में, भारतीय प्रबंध संस्थान शिलाँग के शासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान शिलाँग (अग्रगण्य व्यक्तियों और संकाय का नामांकन) विनियम, 2018 है।
- (2) ये इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;
 - (ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
 - (ग) "नियमों" से अधिनियम के तहत बनाए गए नियम अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, बल्कि अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, उनका जैसा अधिनियम में है वही अर्थ होगा।

3. मंडल में अग्रगण्य व्यक्तियों का नामांकन :

अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दी गई शक्तियों के अनुसार और भाप्रबंस नियम 2018 खंड 4(1) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 10(2), उपधारा (द) के अंतर्गत अग्रगण्य व्यक्तियों की श्रेणी के तहत मंडल में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए मंडल शासी मंडल (बीओजी) नामांकन समिति का गठन करेगा।

3.1 गठन, कोरम, आवृत्ति, कार्यविधि और कार्य :

- (1) किसी भी रिक्ति के उत्पन्न होने से कम से कम दो महीने पहले शासी मंडल द्वारा शासी मंडल नामांकन समिति गठित की जाएगी।
- (2) नामांकन समिति अधिनियम के अनुसार उपयुक्त सदस्य(यों) की तलाश करेगी, जिसे शासी मंडल में नामांकित किया जा सकता है और प्रत्येक रिक्ति के लिए शासी मंडल को कम से कम दो नाम की सिफारिश करेगा।
- (3) सामान्यतौर पर, शासी मंडल नामांकन समिति की बैठक की सूचना अवधि एक सप्ताह होगी।
- (4) शासी मंडल के अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (5) शासी मंडल नामांकन समिति की सभी निर्णयें समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

- (6) शासी मंडल नामांकन समिति की बैठकों का कार्यवृत्त या समिति की संकल्पों को विचार के लिए शासी मंडल आगामी बैठक से पहले रखा जाएगा ।
- (7) शासी मंडल पूरी सूची को अस्वीकार भी कर सकता है और समिति से उस सूची में नए सिरे से काम करने की अनुरोध कर सकता है ।

4. शासी मंडल में संकाय सदस्यों का नामांकन :

अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के तहत भाप्रबंसं शिलाँग के शासी मंडल में संकाय सदस्यों का नामांकन, आगे का पैरा में उल्लिखित अनुसार नियंत्रित होगा ।

5. शासी मंडल में संकाय के नामांकन के लिए पात्रता :

1. आचार्य एवं सह-आचार्य पात्र होंगे ।
2. उसे भाप्रबंसं शिलाँग में कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए ।
3. रिक्ति की तिथि को उसे कम से कम दो साल की अवशिष्ट सेवा की आवश्यकता है ।

6. नामांकन की प्रक्रिया :

1. शासी मंडल में संकाय सदस्य(यों) का नामांकन निदेशक द्वारा सामान्यतौर पर रिक्ति की होने से दो महीने पहले शुरू किया जाएगा ।
2. अध्यक्ष को संकाय सदस्यों के नाम की सिफारिश करने से पहले, निदेशक अकादमिक परिषद् से परामर्श करेगा ।
3. यदि त्यागपत्र या अन्य अप्रत्याशित कारणों से पद रिक्त होता है, तो निदेशक जिस दिन से यह पद रिक्त होता है उस तिथि से एक महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू कर देगा ।
4. प्रत्येक रिक्ति के लिए, मानदंडों को पूरा करने वाले कम से कम दो कार्यक्षम उम्मीदवारों के नाम निदेशक द्वारा सुझाए जाएंगे ।
5. इसके पश्चात् अध्यक्ष (बीओजी) उनकी उपयुक्तता और प्रत्यय-पत्र से संतुष्ट होने पर, संकाय सदस्यों को जो उन्हें उपयुक्त लगता हो, शासी मंडल में नामित कर सकता है/सकती है ।
6. मंडल में संकाय सदस्यों को सामान्य प्रक्रिया का पालन करके लगातार दूसरी बार भी नामांकित किया जा सकता है । तीसरे कार्यकाल को केवल दो वर्ष की पुनर्विचार-अवधि के बाद ही विचार किया जा सकता है ।
7. भाप्रबंसं नियमों में मंडल सदस्यों को हटाने के लिए दिए गए शर्तों के अलावा, एक संकाय सदस्य को मंडल से हटाया जा सकता है यदि उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक मामले/जाँच शुरू की गई है, अपेक्षित है या लंबित है ।
8. छुट्टी, प्रतिनियुक्ति आदि किसी भी कारणों से यदि संस्थान से उसकी अनुपस्थिति छह महीने से अधिक के लिए है, तो एक संकाय सदस्य को मंडल से हटाया जा सकता है । इस अपवाद के साथ कि प्रसूति अवकाश/पितृत्व अवकाश (संस्थान द्वारा स्वीकृत, यदि कोई) अनुपस्थिति के लिए नहीं गिना जाएगा ।
9. इन विनियमों के तहत नामितियों/सहयोजन को विनियमित करने वाले अन्य सभी नियम और शर्तें भाप्रबंसं अधिनियम 2017 और/या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे और समाविष्ट (पर्याप्त रूप से) नहीं किए गए किसी भी मामलों के संबंध में, मंडल का निर्णय प्रभावी होगा ।

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT SHILLONG

NOMINATION OF EMINENT PERSONS AND FACULTY MEMBERS ON THE BOARD OF GOVERNORS REGULATIONS, 2018

In order to nominate Eminent Persons and Faculty Members on the Board of Governors of Indian Institute of Management Shillong and in exercise of powers conferred under clauses [d] and [e] of sub-section [2] of Section 10 of the Indian Institutes of Management Act, 2017 and in exercise of powers conferred under section 20(1) of IIM Act, 2017 and with reference to IIM Rules 2018, the Board of Governors of Indian Institute of Management Shillong hereby, makes the following Regulations, namely:-

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Indian Institute of Management Shillong (Nomination of Eminent Persons and Faculty) Regulations, 2018
- (2) They shall come into force from the date of its notification.

2. Definitions:

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) “Act” means the Indian Institute of Management Act, 2017;
 - (b) “Section” means the Section of the Act;
 - (c) “Rules” means Rules made under the Act.
- (2) Words and expressions used in these regulations not defined here-under but defined in the Act, shall have the same meaning as in the Act.

3. Nomination of Eminent Persons on the Board:

As per the powers granted under Section 20(1) of the Act and as per provisions of clause 4(1) of IIM Rules 2018, the Board shall constitute a Board of Governors (BoG)Nomination Committee to recommend names for Board appointment under the category of Eminent Persons as per Section 10 (2), sub-sections (d)of the Act.

3.1 Composition, Quorum, Frequency, Procedure and Functions:

- (1) The BoG Nomination Committee shall be formed by the BoG at least two months prior to the arising of any vacancy.
- (2) The Nomination Committee will undertake search for suitable member(s) as per the Act, that can be nominated on the Board and shall recommend minimum of two names to the Board for each vacancy.
- (3) Generally, the notice period for a meeting of the BoG Nomination Committee will be one week.
- (4) The Chairperson, BoG shall preside over the meetings of the Committee.
- (5) All decisions of the BoG Nomination Committee shall be approved by the Chairman of the Committee.
- (6) The minutes of the meetings of the BoG Nomination Committee or resolutions of the Committee shall be placed before the ensuing meeting of the Board for consideration.
- (7) The Board may also reject entire list and request the Committee to rework a list afresh.

4. Nomination of Faculty Members on the Board:

Nomination of Faculty Members on the Board of IIM Shillong under clause (e) of sub-section (2) of section 10 of the Act, will be governed as mentioned in the succeeding paragraphs.

5. Eligibility for Nomination of a Faculty on the Board:

1. Professors and Associate Professors shall be eligible.
2. He/she must have at least 5 years of work experience at IIM Shillong.
3. He/she needs to have a residual service of at least two years as on the date of vacancy.

6. Process of Nomination:

1. Nomination of faculty member(s) to the Board shall be initiated by the Director normally two months prior to occurrence of vacancy.
2. Before recommending the names of Faculty Members to the Chairperson, the Director shall consult the Academic Council.
3. In case the position falls vacant on account of resignation or other unanticipated reasons, the Director shall initiate the process within one month from the date on which vacancy arises.
4. For every vacancy, names of at least two potential nominees meeting the criteria shall be suggested by the Director.
5. The Chairperson (BoG) may thereafter nominate such faculty members to the Board, as he/she deems fit, upon satisfying himself/herself of their suitability and credentials.
6. Faculty members on the Board may also be nominated for the second consecutive term by following the usual procedure. Third term can also be considered only after a cooling off period of two years.
7. Apart from the conditions of removal of Board member as provided in the IIM Rules, a faculty member can be removed from the Board if any disciplinary case/inquiry is initiated, contemplated or pending against him/her.
8. A faculty member can be removed from the Board if his/her absence from the Institute is for more than six months, for any reasons like leave, deputation etc. with the exception that maternity/paternity leave (if any, granted by the Institute) shall not count for absence.

9. All other terms and conditions governing the nominations/co-option under these Regulations shall be in accordance with the IIM Act 2017 and/or the Rules made there-under and in respect of any matter not (adequately) covered, the decision of the Board shall prevail.